



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 03 जनवरी, 2013 ई0
पौष 13, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 05/XXXVI(3)/2013/70(1)/2012

देहरादून, 03 जनवरी, 2013

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘विविध राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2012 पर दिनांक 01 जनवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 01 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

विविध राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012

[उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 01 वर्ष 2013]

विविध राजस्व विधियों में उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप से अधिनियमित हो-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विविध राजस्व विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
- 'मुख्य राजस्व आयुक्त' के स्थान पर शब्द 'राजस्व परिषद्' का पढ़ा जाना 2. इस अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों में जहाँ-जहाँ शब्द "मुख्य राजस्व आयुक्त" आए हैं, वहाँ-वहाँ वह शब्द "राजस्व परिषद्" प्रतिस्थापित कर दिए जायेंगे।
- व्यावृत्ति 3. ऐसे संशोधन के होते हुए भी मूल अधिनियमों में कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन की गई बात या कार्यवाही समझी जायेगी।

अनुसूची

क्रम सं0	अधिनियम	अधिनियम संख्या	वर्ष
1	2	3	4
1	उ0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)	3	1901
2	उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)	1	1951
3	कुमौऊ तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश एवं भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)	17	1960
4	जौनसार-बावर जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)	11	1956

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 03 जनवरी, 2013 ई0 (पौष 13, 1934 शक सम्बत्)

1	2	3	4
5	उ0प्र0 जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)	5	1954
6	उ0प्र0 अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)	1	1961
7	उ0प्र0 नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1956 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)	9	1957
8	उ0प्र0 काश्तकारी अधिनियम, 1939 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त)	17	1939

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।

No. 05/XXXVI(3)/2013/70(1)/2012
Dated Dehradun, January 03, 2013

NOTIFICATION

Miscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of '**Miscellaneous Revenue Laws (Amendment) Act, 2012**' (Adhiniyam Sankhya 01 of 2013).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 01 January, 2013.

Miscellaneous Revenue Laws (Amendment) Act, 2012

[Uttarakhand Act No. 01 of 2013]

AnAct

further to amend Miscellaneous Revenue Laws in its application to the State of Uttarakhand.

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislative Assembly in the Sixty-third Year of the Republic of India, as follows :-

- Short title and Commencement** 1. (1) This Act may be called Miscellaneous Revenue Laws (Amendment) Act, 2012.
(2) It shall come into force at once.
- Instead of "Chief Revenue Commissioner" the word "Board of Revenue" to be read** 2. In the Schedule of this Act, wherever the expression "Chief Revenue Commissioner" occurs, it shall be substituted as "Board of Revenue".
- Saving** 3. Notwithstanding such amendments anything done or any action taken under the principal Act shall be deemed to have been done or taken under this Act.

SCHEDULE

Sl. No.	Act	Act No.	Year
1	2	3	4
1.	U.P. Land Revenue Act, 1901 (as applicable to the State of Uttarakhand)	3	1901
2.	U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (as applicable to the State of Uttarakhand)	1	1951

1	2	3	4
3.	Kumaon and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960 (as applicable to the State of Uttarakhand)	17	1960
4.	Jaunsar-Bavar Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956 (as applicable to the State of Uttarakhand)	11	1956
5.	U.P. Consolidation of Holdings Act, 1953 (as applicable to the State of Uttarakhand)	5	1954
6.	U.P. Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960 (as applicable to the State of Uttarakhand)	1	1961
7.	U.P. Urban Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956 (as applicable to the State of Uttarakhand)	9	1957
8.	U.P. Tenancy Act, 1939 (as applicable to the State of Uttarakhand)	17	1939

By Order,

D. P. GAIROLA,
Principal Secretary.